अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2004

का.आ. 605(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 22 मार्च,2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 258 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में कुष्ठ रोग प्रभावित युवाओं के लिए पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करने और फर्नीचर, उपस्करों, पहियेदार कुर्सी, उपकरणों, औजारों और वाहनों की खरीद के लिए लेप्रा इंडिया ट्रस्ट, 4- जयपुर एस्टेट, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली-110013 द्वारा परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षो से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेप्रा इंडिया ट्रस्ट, 4- जयपुर एस्टेट, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली-110013 द्वारा दिल्ली में कुष्ठ रोग प्रभावित युवाओं के लिए पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करने और फर्नीचर, उपस्करों, पहियेदार कुर्सी, उपकरणों, औजारों और वाहनों की खरीद की परियोजना या स्कीम को जो केवल दो करोड़, तेरह लाख,सत्तर हजार रू0 की अनुमानित लागत पर वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 148/2004/फा. सं. एन.सी. 395/2003]

सुनील शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)